भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1272

दिनांक 03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति

1272. श्री दिलेश्वर कामैत:

श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक महामारी के मद्देनजर विशेष रूप से समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीति अपनाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान देश से समुद्री खाद्य के निर्यात की मात्रा की वर्तमान स्थिति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात को 'केप ऑफ गुड होप' मार्ग से लाया जा रहा है और इसका देश से समुद्री खाद्य के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत से निर्यात जारी है, क्योंकि भारत से कंटेनर ले जाने वाले जहाजों की आवाजाही परिवर्तन के मद्देनजर हो रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) माल ढुलाई लागत में वृद्धि से प्रभावित निर्यातकों की सहायता के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): सरकार ने वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक संगठन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के माध्यम से विशेष रूप से वैश्विक महामारी के आलोक में देश से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, आभासी और भौतिक दोनों मोड में क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकों (आरबीएसएम) का आयोजन, और समुद्री खाद्य आधारित मूल्य वर्धित उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्यात के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। नए बाजारों में निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए, एम्पीडा ने विभिन्न समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए उत्पाद और देश विशिष्ट प्रोफाइलिंग भी की है। समुद्री खाद्य निर्यातकों के लिए ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, एम्पीडा ने निर्यात सुविधा प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है और विभिन्न नियामक अनुपालनों को तर्कसंगत बना दिया है।

इसके अलावा, एम्पीडा ने अंडमान द्वीप में विशिष्ट रोगजनक-मुक्त (एसपीएफ) टाइगर झींगा प्रजनन परियोजना के लिए एक न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की है, जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनाने और झींगा उत्पादन के साथ-साथ इसके निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय

समुद्री खाद्य आधारित मूल्य वर्धित उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, सरकार ने बजट 2024-25 में विभिन्न प्रमुख जलीय कृषि सामग्री/इनपुट (झींगा/झींगा चारा या मछली के चारे के लिए उपयोग किए जाने वाले) पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) में कमी की घोषणा की है, जैसे कि फिश लिपिड ऑयल (एचएस 1504.20) और एल्गल प्राइम (आटा) (एचएस 2102.2000) पर शुल्क 15% से घटाकर शून्य कर दिया । क्रील मील (एचएस 2301.20) पर 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य, क्रुड फिश ऑयल पर 30 प्रतिशत से घटाकर शून्य, खनिज और विटामिन प्रीमिक्स (एचएस 2309 90 90) पर 5 % से कम करके शून्य कर दिया गया है।

इसके अलावा, विभिन्न समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) दरों को भी 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.1 प्रतिशत कर दिया है और अधिकतम मूल्य प्रति कि.ग्राम बढ़ाकर 69.00 कर दिया है।

एम्पीडा कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है जैसे कि मछुआरों के लिए बेहतर हैण्डलिंग प्रक्रियाओं पर बंदरगाह और पूर्व-प्रसंस्करण केंद्र-आधारित प्रशिक्षण, मछली पकड़ने के बाद के नुकसान में कमी, आयात करने वाले देशों की गुणवत्ता और मानकों से संबंधित आवश्यकताओं, समुद्री खाद्य निर्यात में मूल्यवर्धन पर प्रशिक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रौद्योगिकीविदों के लिए जोखिम विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं (एच. ए. सी. सी. पी.) पर प्रशिक्षण आदि।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत से समुद्री खाद्य का निर्यात 23.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2020-21 में 5957.37 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 7372.00 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

(ख): पिछले दो वर्षों के दौरान देश से समुद्री खाद्य के निर्यात की मात्रा की वर्तमान स्थिति का विवरण, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अनुबंध में दिया गया है।

(ग) से (घ): भारत से निर्यात जारी है क्योंकि भारत से जहाजों को ले जाने वाले कंटेनरों को केप ऑफ गुड होप मार्ग से होकर डायवर्ट किया गया है। चुनौतियों के बावजूद, समुद्री खाद्य का निर्यात मात्रा के संदर्भ में वर्ष 2022-23 में 17.54 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 18.19 लाख टन हो गया, जिसमें 3.73 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।

उद्योग द्वारा माल ढुलाई लागत में कुछ वृद्धि की सूचना दी गई है। सरकार समुद्री खाद्य निर्यातकों सहित निर्यातकों के हितों पर नजर रख रही है। बढ़ी हुई गतिविधियों के दौरान, भारतीय नौसेना ने मध्य/उत्तरी अरब सागर में समुद्री निगरानी प्रयासों और संवर्धित बल स्तरों को काफी बढ़ा दिया था। लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (आरपीए) प्रणाली द्वारा हवाई निगरानी को बढ़ाया गया है ताकि एक पूर्ण समुद्री क्षेत्र जागरूकता हो सके। विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की प्रभावी निगरानी की दिशा में भारतीय नौसेना तटरक्षक बल के साथ निकट समन्वय में काम कर रही है।

******

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 03.12.2024 को उत्तर के लिए नियत अतांराकित प्रश्न संख्य 1272 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले 2 वर्षों में भारतीय समुद्री उत्पादों के निर्यात की राज्यवार मात्रा		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मात्रा (लाख टन में)	
	2022-23	2023-24*
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.005	0.003
आंध्र प्रदेश	3.870	4.272
असम	0.004	0.004
बिहार	0.005	0.018
दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप	0.034	0.032
दिल्ली	0.000	0.000
गोवा	0.808	0.738
गुजरात	2.934	3.451
हरियाणा	0.000	0.000
झारखंड	0.000	0.000
कर्नाटक	2.984	2.735
केरल	2.116	1.887
मध्य प्रदेश	0.000	0.000
महाराष्ट्र	1.665	1.701
मेघालय	0.000	0.000
ओडिशा	0.819	0.818
पुडुचेरी	0.001	0.002
पंजाब	0.001	0.001
राजस्थान	0.000	0.000
तमिलनाडु	0.914	0.890

तेलंगाना	0.013	0.030
उत्तर प्रदेश	0.006	0.008
उत्तराखंड	0.000	0.000
पश्चिम बंगाल	1.361	1.607
अनिर्दिष्ट	0.001	0.000
कुल	17.542	18.196

स्रोत: डीजीसीआईएस
**अनंतिम डेटा*

****